उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्याः 1151 /79–6–10
लखनऊ दिनांकः 23 जुलाई, 2010

विज्ञप्ति / संशोधन

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को पके–पकाए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोइये के चयन एवम् नियत मानदेय के संदर्भ में शासनादेश संख्याः435(1)/79–6–10 दिनांकः 24 अप्रैल, 2010 द्वारा व्यवस्था की गई थी। उक्त शासनादेश दिनांकः दिनांकः 25.04.2010 के प्रस्तर–3 की व्यवस्था को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्न संशोधित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है :–

(3) ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोइये के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विधवा महिला, निराश्रित महिला एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार पुरूष प्रत्याशियों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निराश्रितों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

शासनादेश दिनांकः 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(बालकृष्ण दुबे)
विशेष सचिव